

प्र.सं. / दावा / प्र.पत्र /

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पुनः नवीन आदेश होने की वशा से नवीन आदेश
की पासना हेतु पुनः पेश की जावे पञ्चावली डीडी
निर्णय खारिज होने से खारिज की जाती है
पञ्चावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो
बादतामील तर्जुमील नियमानुसार दायिल दफ्तर
होई है।